

7

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष- एम0 के0 सिंह,
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 1149-पीबीआर/04 (पुराना नं. 49-पांच/97), निग0 50-पांच./97, निग0 निग0 51-पांच/97 (ए) एवं निग0 1160-पीबीआर/04 (पुराना नं. 51-पांच/97 (बी), विरुद्ध आदेश, दिनांक 28-2-1997 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल सभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 261/94-95 निग0, 261/94-95 निग0, 262/94-95 निग0 एवं 264/94-95 निग0

- 1 विशम्भर सिंह पुत्र भारत सिंह
जाति ठाकुर, निवासी मेहराखुर्द
तहसील लहार, जिला भिण्ड म0 प्र0
- 2 मुस0 वेसश्री उर्फ जयश्री पत्नी
विशम्भर सिंह, निवासिन मेहराखुर्द
तहसील लहार, जिला भिण्ड म0 प्र0

.....आवेदकगण

विरुद्ध

- 1 मुस0 पुष्पा बेवा महावीर
- 2 कु0 मनोज पुत्री महावीर सिंह
नाबालिग वसरपरस्त मां पुष्पादेवी
बेवा महावीर सिंह, जाति ठाकुर
निवासीगण जू मोहल्ला, तहसील
व जिला भिण्ड म0 प्र0

.....अनावेदकगण

श्री एस0 के0 अवरथी अभिभाषक, आवेदकगण.
श्री ओ0 पी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण.

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5-12-2016 को पारित)

ये चारों निगरानियां अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 261/94-95 निग0, 261/94-95 निग0, 262/94-95 निग0 एवं 264/94-95


M

P
ASL

निग0 में पारित आदेश दिनांक 28-2-97 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई हैं । चारों प्रकरणों के तथ्य एक समान होने, पक्षकार लगभग समान होने के कारण इन दोनों प्रकरणों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि जवर सिंह पुत्र ग्यादीन निवासी गोरई के भूमिस्वामी स्वत्व में ग्राम गोरई में स्थित भूमि कुल किता 10 कुल रकबा 7.148 हैक्टेयर तथा ग्राम जसवन्तपुरा में स्थित कुल किता 6 कुल रकबा 1.390 हैक्टेयर भूमि थी । अभिलिखित भूमिस्वामी की मृत्यु होने पर ग्राम गोरई एवं जसवन्तपुरा की नामांतरण पंजी के सीरियल क्रमांक 11 एवं 25 पर नायब तहसीलदार रौन के आदेश दिनांक 20-7-89 एवं ए0एस0एल0आर0 के आदेश दिनांक 7-9-89 से हिस्सा 1/3 पर नामांतरण स्वीकार किये गये । इसके बाद मृतका गेंदाबेटी ने अपने हिस्से की भूमि को जयें विक्रय पत्र दिनांक 6-1-90 से आवेदक के हित में विक्रय कर दी । इस विक्रय पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार रौन ने ग्राम गोरई व ग्राम जसवन्तपुरा की नामांतरण पंजी के सीरियल क्रमांक 36 एवं 1 में आदेश दिनांक 20-3-90 से क्रेता का नामांतरण प्रमाणित किया । उक्त आदेश से व्यथित होकर अनुविभागीय अधिकारी, लहार के न्यायालय में 4 अपीलें प्रस्तुत हुई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी, लहार द्वारा एक आदेश पारित कर प्रकरण पुनः जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किये गये । इसके उपरान्त 4 निगरानी कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत हुई, जिसे अस्वीकार किया गया । कलेक्टर, भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-8-95 के विरुद्ध आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-2-97 द्वारा निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किए गए हैं ।





4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में संहिता की धारा 109 एवं 110 के अंतर्गत बनाए गए नामांतरण नियमों के नियम 27 का पालन नहीं किया गया है अर्थात् ना तो विधिवत उद्घोषणा का प्रकाशन किया गया है और ना ही हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिशः सूचना दी गई है । इस प्रकरण में मूल विचारणीय बिंदु यह है कि प्रकरण में वसीयतनामा प्रस्तुत हुआ है जिस पर भी विचार नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है अतः वहां आवेदक को सुनवाई एवं अपना पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । उपरोक्त निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा निगरानियां निरस्त की गई हैं । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह चारों निगरानियां निरस्त की जाती हैं ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर

gsc